संख्या-8/2015/612/60-1-15-1/3(15)/14

प्रेषक,

नन्द लाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 14 मई, 2015

विषय:- अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष आई0सी0पी0एस0 योजना के अधीन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट की स्थापना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-67/म0क0निदे0/प्रोबे0/विशेषीकृत यूनिट/2015-16, दिनांक 21.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आई0सी0पी0एस0 योजना के अधीन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट की स्थापना हेतु अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 10125 हजार के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 5063 हजार (रू0 पचास लाख तिरेसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

शीर्षक	मानक मदें	बजट साहित्य में प्रदर्शित धनराशि	स्वीकृत धनराशि (रूपये हजार में)
1	2	3	4
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01- केन्द्रीय	01-वेतन	0	0
	03-महंगाई भत्ता	0	0
	04-यात्रा व्यय	0	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं -0110- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के0-75 र0- 25, के0+र0)	06-अन्य भत्ते	0	0
	08-कार्यालय व्यय	100	50
	09- विधुत व्यय	100	50
	10-जलकरजल प्रभार	35	18
	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	600	300
	14-मोटर गाड़ियो का क्रय	1000	500
	15-गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500	250
	16- व्यवसायिक विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1500	750
	17-किराया उप शुल्क् एवं कर स्वामित्व	500	250
	26-मशीनो और सज्जा/उपकरण और संयत्र	140	70
	29- अनुरक्षण	100	50
	39-औषधि तथा रसायन	2250	1125
	41-भोजन व्यय	1800	900
	42-अन्य व्यय	800	400
	43-सामग्री एंव सम्पूर्ति	700	350
	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफट वेयर का व्यय	0	0
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी का क्रय	0	0
	योग	**10125**	**5063**

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिशिचत करते हुए किया जायेगा।

5- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

7- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिशिचत किया जाए।

8- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखा अनुदान के अनुदान संख्या-49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-10-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट की स्थापना (के0-75/र0-25, के0+र0) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9- यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निर्वतन पर वर्ष 2015-16 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित कर दिया जाय।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

<u>संख्या-8/2015/612(1)60-1-15, तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक स्थानीय निकाय,निधि लेखा,उ0प्र0 सिविल लाइन्स इलाहाबाद।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan desh.up.nic.in